न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्याः—163/2025

1. हंसराज पुत्र स्व0 गौरीशंकर
2. प्रेमकुमार पुत्र स्व0 गौरीशंकर
3. सुरेश पुत्र स्व0 गौरीशंकर
4. राजेश पुत्र स्व0 गौरीशंकर
5. बिदामी देवी पत्नी स्व0 गौरीशंकर

निवासीगण— रोड़ नं0 2 व 3 के बीच गुढ़ा मोड़ झुंझुनूं राज0।

——अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. कदीर अहमद पुत्र जनाब रहीमूद्दीन, निवासी मण्ड्रेला रोड़, बिडदीचंद का कुआ, झुंझुनूं मुतवल्ली जामा मस्जिद फोरिस्टर साहब, फौज का मोहल्ला, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।

——रेस्पोडेन्टगण

——

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 6048 दिनांकित 22.05.2025 बाबत् भूमि खसरा नं0 2840 एवं 2841 वाके कस्बा झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं राज0।

——

उपस्थितः—

1. श्री अविनाश शर्मा, एडवोकेट— अपीलान्ट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री तैयब हुसैन, एडवोकेट— रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 05.08.2025

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार, झुंझुनूं के नामान्तरकरण आदेश संख्या 6048 दिनांक 22.05.2025 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र स्थगन के प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण/अपीलान्ट्स की ओर से अपील निम्न प्रकार प्रस्तुत है कि काश्त की भूमि पूर्व खसरा नं0 565/2/1 वर्तमान खसरा नं0 2840 व 2841 खाता संख्या वर्तमान 1448 पुराना 1320 कुल किता 2 कुल रकबा 2.14 है0 भूमि सरहद कस्बा झुंझुनूं में स्थित है जिसे आगे विवादित भूमि के नाम से इंगित किया गया है। उपरोक्त वर्णित भूमि अपीलार्थीगण की पैतृक भूमि है जिसे अपीलार्थीगण के पूर्वज स्व0 गौरीशंकर द्वारा जरिये विक्रय पत्र क्रय किया गया था तथा क्रय करने के रोज से ही भूमि खसरा नं0 2840 व 2841 की भूमि पर काबिज काश्त है एवं अपीलार्थीगण के उपयोग उपभोग में है। अपीलार्थीगण द्वारा भूमि खसरा नं0 2840 एवं 2841 कुल किता 2 कुल रकबा 2.14 है0 की भूमि का उपयोग उपभोग किया जा रहा था एवं मौजूदा समय में भी किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा विवादित भूमि को वक्फ बोर्ड के अंतर्गत बताई जाकर मुतवल्ली जामा मस्जिद फोरिस्टर साहब द्वारा एक मुकदमा उनवानी कदीर अहमद ब्रनाम सुगरा आदि मु0नं0 54/2012 माननीय राजस्थान वक्फ बोर्ड न्यायाधिकरण ज्योति नगर, जयपुर में प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 15.12.2015 को अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में निर्णित फरमा दिया गया जिसका ज्ञान होने के कारण प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.2015 को सेट असाईड करवाये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र दिनांक 05.09.2016 को प्रस्तुत किया गया जो गणेश चतुर्थी का अवकाश होने के कारण सुनवाई हेतु दिनांक 06.09.2016 को लिया गया बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र दिनांक 06.09.2016 को निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.2015 को अपास्त किया जाकर वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने बाबत् आदेश फरमाये गये, जिसके मुकदमा नं0 4/2016 अंकित किये गये तथा आगामी पेशी फरमाई जगई मौजूदा समय में भी मुकदमा विचाराधीन है जिसकी आगामी पेशी दिनांक

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

18.06.2025 है इस प्रकार निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.2015 अभी तक अंतिम निर्धारित नहीं हुई है। मौजूदा समय में मुकदमा विचाराधीन होते हुए भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा तथ्य को छिपाते हुए नामान्तरकरण संख्या 6048 दिनांक 22.05.2025 में ना तो रिपोर्ट प्राप्त हुई कि भूमि के किस हिस्से बाबत् नामान्तरकरण हेतु आवेदन किया गया है एवं किस प्रकार हिस्सा दर्ज हुआ है विवरण अंकित नहीं किया गया है केवल पटवारी रिपोर्ट जिसमें भी केवल न्यायालय आदेश का अंकन किया जाकर रिपोर्ट की गई है को आधार मानकर ही नामान्तरकरण संख्या 6048 दिनांक 22.05.2025 स्वीकृत फरमा दिया गया परन्तु तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा अपने टिप्पणी विवरण में किसी प्रकार का कोई विशेष विवरण अंकित नहीं किया गया है, तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा मौके पर जाकर किसी प्रकार की मौका रिपोर्ट अथवा नजरी नक्शा नहीं बनाया गया मौके पर लोग मकान बनाकर आबाद है जिससे इंतकाल भरे जाने वाले खसरा नं0 2840 एवं 2841 की वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो सके केवल कार्यालय में बैठे–बैठे ही न्यायालय आदेश के आधार पर प्रस्तुत इंतकाल संख्या 6048 दिनांक 22.05.2025 के आवेदन पत्र को स्वीकार फरमा दिया गया जिसके विरुद्ध सुनवाई हेतु श्रीमान् को श्रवणाधिकार प्राप्त है। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में तहसीलदार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वयं शामिल है। उनको भूमि खसरा नं0 2840 एवं 2841 कुल किता 2 कुल रकबा 2.14 है0 की पूर्ण वस्तुस्थिति का पूर्ण अवलोकन किये बिना एवं न्यायालय आदेश की सत्यता की जांच किये बिना ही इंतकाल दर्ज किया गया एवं मौके पर भूमि का निरीक्षण किये बिना तथा मौके पर उपस्थित खातेदारान् अपीलार्थीगण का कोई नोटिस अथवा सूचना दिये बिना ही प्रस्तुत इंतकाल संख्या 6048 दिनांक 22.05.2025 स्वीकृत फरमाया दिया गया और ना ही रिकॉर्डेड खातेदारान को सुनवाई का अवसर दिया गया उक्त संदेहास्पद तथ्यों की पूरी जांच करने के बाद ही तहसीलदार को नामान्रकरण स्वीकृत करना चाहिए था परन्तु तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। पटवारी हल्का एवं भू निरीक्षक की जांच रिपोर्ट द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। पटवारी हल्का एवं भू निरीक्षक की जांच रिपोर्ट जिसमें भी केवल न्यायालय आदेश बाबत अंकन है को आधार मानकर ही कार्यालय में बैठे बैठे ही रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा स्वीकृत फरमा दिया गया। ऐसी स्थिति में विवादित नामान्तरकरण खारिज करना चाहिए था परन्तु तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा सम्पूर्ण जांच नहीं की गई और बिना किसी मजबूत आधार के इंतकाल स्वीकृत फरमा दिया गया। राजस्थान रेवेन्यू एक्ट धारा 134 में सुस्थापित व्यवस्था है जिन लोगों को मौके पर कब्जा होता है उनको नोटिस देकर तथा सुनकर नामान्तरकरण बाबत कार्यवाही की जानी चाहिए थी तथा उपलब्ध साक्ष्यों एवं भौतिक स्थिति के आधार पर नामान्तरकरण भरा जाता है परन्तु विवादित इंतकाल के समय सभी कानूनी तथ्यों की भूल की जाकर नामान्तरकरण तस्दीक करने में भयंकर कानूनी भूल की है इस कारण विवादित नामान्तरकरण खारिज होने योग्य हे। विवादित नामान्तरकरण की अपील को स्वीकार कर पुनः तहसीलदार झुंझुनूं को इस आदेश के साथ प्रति प्रेषित किया जावे कि विवादित नामान्तरकरण इंतकाल संख्या 6048 दिनांक 22.05.2025 बाबत् भूमि खसरा नं0 2840 एवं 2841 के कब्जा काश्त की सम्पूर्ण जांच कर नामान्तरकरण खारिज फरमाया जावे। अतः अपील अपीलान्ट सेवामें प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर विवादित नामान्तरकरण संख्या 6048 दिनांक 22.05.2025 बाबत् भूमि खसरा नं0 2840 एवं 2841 खाता संख्या 1448 पुराना 1320 कुल किता 2 कुल रकबा 2.14 है0 भूमि सरहद कस्बा झुंझुनूं को निरस्त फरमाया जावे। अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षीगण को पाबंद फरमाया जावे कि ताजांच एवं फैसला अपील विपक्षीगण अपीलान्ट्स के उपयोग उपभोग में किसी किस्म की बाधा उत्पन्न न करे तथा ना ही उसके किसी हिस्से को किसी दीगर व्यक्ति को विक्रय करे ना ही उसमें परिवर्तन करें ना ही कोई कार्यवाही कब्जे की बाबत् की जावे। खर्चा अपील अपीलान्ट्स को विपक्षीगण से दिलवाया जावे एवं अन्य सिद्धि जो अपीलान्ट्स के हक में हो और जो भूलवश चाही जाने से रह गई हो अपीलान्ट्स को दिलाई जावे।

बहस सुनी गई। अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिया कि काश्त की भूमि पूर्व खसरा नं0 565/2/1 वर्तमान खसरा नं0 2840 व 2841 खाता संख्या वर्तमान 1448 पुराना 1320 कुल किता 2 कुल रकबा 2.14 है0 भूमि सरहद कस्बा झुंझुनूं में स्थित है जिसे आगे विवादित भूमि के नाम से इंगित किया गया है। उपरोक्त वर्णित भूमि अपीलार्थीगण की पैतृक भूमि है जिसे अपीलार्थीगण के पूर्वज स्व0 गौरीशंकर द्वारा जरिये विक्रय पत्र क्रय किया गया था तथा क्रय करने के रोज से ही भूमि खसरा नं0 2840 व 2841 की भूमि पर काबिज काश्त है एवं अपीलार्थीगण के उपयोग उपभोग में है। अपीलार्थीगण द्वारा भूमि खसरा नं0 2840 एवं 2841 कुल किता 2 कुल रकबा 2.14 है0 की भूमि का उपयोग उपभोग किया जा रहा था एवं मौजूदा समय में भी किया

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

जा रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा विवादित भूमि को वक्फ बोर्ड के अंतर्गत बताई जाकर मुतवल्ली जामा मस्जिद फोरिस्टर साहब द्वारा एक मुकदमा उनवानी कदीर अहमद बनाम सुगरा आदि मु0नं0 54/2012 माननीय राजस्थान वक्फ बोर्ड न्यायाधिकरण ज्योति नगर, जयपुर में प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 15.12.2015 को अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में निर्णित फरमा दिया गया जिसका ज्ञान होने के कारण प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.2015 को सेट असाईड करवाये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र दिनांक 05.09.2016 को प्रस्तुत किया गया जो गणेश चतुर्थी का अवकाश होने के कारण सुनवाई हेतु दिनांक 06.09.2016 को लिया गया बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र दिनांक 06.09.2016 को निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.2015 को अपास्त किया जाकर वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने बाबत् आदेश फरमाये गये, जिसके मुकदमा नं0 4/2016 अंकित किये गये तथा आगामी पेशी फरमाई जगई मौजूदा समय में भी मुकदमा विचाराधीन है जिसकी आगामी पेशी दिनांक 18.06.2025 है इस प्रकार निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.2015 अभी तक अंतिम निर्धारित नहीं हुई है। मौजूदा समय में मुकदमा विचाराधीन होते हुए भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा तथ्य को छिपाते हुए नामान्तरकरण संख्या 6048 दिनांक 22.05.2025 में ना तो रिपोर्ट प्राप्त हुई कि भूमि के किस हिस्से बाबत् नामान्तरकरण हेतु आवेदन किया गया है एवं किस प्रकार हिस्सा दर्ज हुआ है विवरण अंकित नहीं किया गया है केवल पटवारी रिपोर्ट जिसमें भी केवल न्यायालय आदेश का अंकन किया जाकर रिपोर्ट की गई है को आधार मानकर ही नामान्तरकरण संख्या 6048 दिनांक 22.05.2025 स्वीकृत फरमा दिया गया परन्तु तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा अपने टिप्पणी विवरण में किसी प्रकार का कोई विशेष विवरण अंकित नहीं किया गया है, तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा मौके पर जाकर किसी प्रकार की मौका रिपोर्ट अथवा नजरी नक्शा नहीं बनाया गया मौके पर लोग मकान बनाकर आबाद है जिससे इंतकाल भरे जाने वाले खसरा नं0 2840 एवं 2841 की वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो सके केवल कार्यालय में बैठे–बैठे ही न्यायालय आदेश के आधार पर प्रस्तुत इंतकाल संख्या 6048 दिनांक 22.05.2025 के आवेदन पत्र को स्वीकार फरमा दिया गया जिसके विरुद्ध सुनवाई हेतु श्रीमान् को श्रवणाधिकार प्राप्त है। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में तहसीलदार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वयं शामिल है। उनको भूमि खसरा नं0 2840 एवं 2841 कुल किता 2 कुल रकबा 2.14 है0 की पूर्ण वस्तुस्थिति का पूर्ण अवलोकन किये बिना एवं न्यायालय आदेश की सत्यता की जांच किये बिना ही इंतकाल दर्ज किया गया एवं मौके पर भूमि का निरीक्षण किये बिना तथा मौके पर उपस्थित खातेदारान् अपीलार्थीगण का कोई नोटिस अथवा सूचना दिये बिना ही प्रस्तुत इंतकाल संख्या 6048 दिनांक 22.05.2025 स्वीकृत फरमाया दिया गया और ना ही रिकॉर्डेड खातेदारान को सुनवाई का अवसर दिया गया उक्त संदेहास्पद तथ्यों की पूरी जांच करने के बाद ही तहसीलदार को नामान्करण स्वीकृत करना चाहिए था परन्तु तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। पटवारी हल्का एवं भू निरीक्षक की जांच रिपोर्ट द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। पटवारी हल्का एवं भू निरीक्षक की जांच रिपोर्ट जिसमें भी केवल न्यायालय आदेश बाबत अंकन है को आधार मानकर ही कार्यालय में बैठे बैठे ही रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा स्वीकृत फरमा दिया गया। ऐसी स्थिति में विवादित नामान्तरकरण खारिज करना चाहिए था परन्तु तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा सम्पूर्ण जांच नहीं की गई और बिना किसी मजबूत आधार के इंतकाल स्वीकृत फरमा दिया गया। राजस्थान रेवेन्यू एक्ट धारा 134 में सुस्थापित व्यवस्था है जिन लोगों को मौके पर कब्जा होता है उनको नोटिस देकर तथा सुनकर नामान्तरकरण बाबत कार्यवाही की जानी चाहिए थी तथा उपलब्ध साक्ष्यों एवं भौतिक स्थिति के आधार पर नामान्तरकरण भरा जाता है परन्तु विवादित इंतकाल के समय सभी कानूनी तथ्यों की भूल की जाकर नामान्तरकरण तस्दीक करने में भयंकर कानूनी भूल की है इस कारण विवादित नामान्तरकरण खारिज होने योग्य हे। विवादित नामान्तरकरण की अपील को स्वीकार कर पुनः तहसीलदार झुंझुनूं को इस आदेश के साथ प्रति प्रेषित किया जावे कि विवादित नामान्तरकरण इंतकाल संख्या 6048 दिनांक 22.05.2025 बाबत् भूमि खसरा नं0 2840 एवं 2841 के कब्जा काश्त की सम्पूर्ण जांच कर नामान्तरकरण खारिज फरमाया जावे। अतः अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर विवादित नामान्तरकरण संख्या 6048 दिनांक 22.05.2025 बाबत् भूमि खसरा नं0 2840 एवं 2841 खाता संख्या 1448 पुराना 1320 कुल किता 2 कुल रकबा 2.14 है0 भूमि सरहद कस्बा झुंझुनूं को निरस्त फरमाया जावे। अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षीगण को पाबंद फरमाया जावे कि ताजांच एवं फैसला अपील विपक्षीगण अपीलान्ट्स के उपयोग उपभोग में किसी किस्म की बाधा उत्पन्न न करे तथा ना ही उसके किसी हिस्से को किसी दीगर व्यक्ति को विक्रय करे ना ही उसमें परिवर्तन करें ना ही कोई कार्यवाही कब्जे की बाबत् की जावे। खर्चा अपील अपीलान्ट्स को विपक्षीगण से दिलवाया जावे एवं अन्य सिद्धि जो अपीलान्ट्स के हक में हो और जो भूलवश चाही जाने से रह गई हो अपीलान्ट्स को दिलाई जावे।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट सं0 2 ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट द्वारा ही माननीय वक्फ अधीकरण, जयपुर मे प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। विवादित नामान्तरकरण सं0 6048 दिनांक 22.05.2025 माननीय वक्फ अधीकरण, जयपुर द्वारा जारी डिक्री दिनांक 15.12.2015 की पालना मे ही भरा गया है। वर्तमान मे प्रकरण मे स्थगन आदेश प्रभावी है। न्यायालय हाजा प्रकरण मे कोई कार्यवाही नही कर सकता है। दोनों ही पक्षों को पाबन्द किया हुआ है। अपीलान्ट को आदेश दिनांक 22.05.2025 के विरूद्व माननीय वक्फ अधीकरण, जयपुर मे धारा 144 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था। अदालत मातहत ने विधिक प्रक्रिया अपनाकर नामान्तरकरण तस्दीक करने की कार्यवाही की है। अदालत मातहत के आदेश मे कोई अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित नामान्तरकरण सं0 6048 दिनांक 22.05.2025 न्यायालय आदेशों की पालना मे ही भरा गया है। अदालत मातहत के आदेश मे कोई अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है कि एकपक्षीय डिक्री वर्ष 2015 मे होने के बाद 2016 मे एकपक्षीय कार्यवाही रद्द हो गई तो 2015 की डिक्री प्रभावहीन हो गई। ऐसी डिक्री के 10 साल बाद नामान्तरकरण खोलना जांच का विषय है। माननीय वक्फ अधीकरण ने आदेश दिनांक 15.12.2015 की डिक्री के आधार पर कार्यवाही नही करते हेतु आदेशित किया है। इसलिए भी नामान्तरकरण सं0 6048 को निरस्त करने मे कोई विधि अडचन नही है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार झुंझुनूं का नामान्तरकरण सं0 6048 दिनांक 22.05.2025 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार, झुंझुनूं को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षों को सुनकर प्रकरण मे गुणावगुण के आधार पर कार्यवाही करे। साथ ही प्रभारी अधिकारी (भू0अ0) कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं को पत्र प्रेषित किया जावे कि वर्ष 2015 की डिक्री के आधार पर 2025 मे नामान्तरकरण की कार्यवाही किसके आवेदन पर की गई एवं क्या–क्या प्रक्रिया अपनाई गई और यदि कोई दोषी हो तो नियमानुसार कार्यवाही करे। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर, झुंझुनूं